



न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर

शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : : विकास ऐचरा, RJS (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या:- 05/2019

सीएनआर नंबर RJSK160000542019

एफ.आई.आर. संख्या 124/2018 पुलिस थाना सदर फतेहपुर

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक फतेहपुर

-अभियोगी

बनाम

1. बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर। (विचारित अभियुक्त)
2. अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
3. जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर।
4. ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर।
5. दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर।
6. आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर।
7. रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझनूं।
8. अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझनूं।
9. कैलाश नागौरी पुत्र फूसाराम जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।



10. किरणपाल उर्फ मनीष पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायसां जिला फरीदाबाद हरियाणा।
11. संजय कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
12. दिनेश कुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर।
13. सुगना देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
14. बिजेंद्रसिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर।
15. अमित कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर।
16. राजू उर्फ राजेंद्र नैण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर।
17. श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर।
18. सुरेंद्र कुमार पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर।
19. कुलदीप चाहर पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर।
20. हंसराज पुत्र भगवानाराम जाति यादव निवासी सराय सूरपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

(क्रम संख्या 2 से 20 पूर्व में विचारण किये जा चुके अभियुक्तगण)

अपराध अन्तर्गत धारा 212/120 बी भादंसं

उपस्थित-

1. श्री त्रिलोक सिंह महला, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री जय कौशिक, अपर लोक अभियोजक सरकार की ओर से



--:निर्णय:--

दिनांक 16.03.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	06.10.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07.10.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	11.01.2019
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	09.08.2019
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	09.10.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	-----
निर्णय की तिथि	16.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि	-----

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभि. की क्रम संख्या	अभि. का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दंभ्रसं के परिपेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1	बलबीर	27.11.18	11.01.19	212/120 बी भादंसं	दोषमुक्त	--	-

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूचीक. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
----------------	---------------	--



पी.डब्लू01	सांवरमल	एफआईआरकर्ता, चक्षुदर्शी, नक्शा मौका व फर्द शिनाख्तगी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू02	रमेश कुमार	चक्षुदर्शी व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू03	गुलाम सरवर	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू04	संदीप कुमार	फर्द जब्ती व एफएसएल कैरियर साक्षी
पी.डब्लू05	डॉ. अरुण अग्रवाल	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू06	डॉ. संजय खन्ना	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू07	डॉ. आशीष पुरोहित	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू08	डॉ. राजेश ढाका	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू09	अनिल कुमार शर्मा	फोरेंसिक रिपोर्ट का साक्षी
पी.डब्लू10	देवीलाल	गाड़ी सुपुर्दगी पंचनामा का साक्षी
पी.डब्लू11	कैलाश	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू12	श्योकरण	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू13	प्रभाती	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू14	हनुमानसिंह	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू15	परमेश्वरलाल	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू16	हेमंत कुमार	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू17	मुकेश	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू18	शीशराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू19	श्रवण	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू20	गुलाबसिंह	टोल फुटेज रिकार्डिंग उपलब्ध करवाने का साक्षी
पी.डब्लू21	प्रतापसिंह	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू22	रजनीश कुमार	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू23	भोलाराम	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू24	श्रवण कुमार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू25	रामेश्वरलाल	एमटीओ साक्षी
पी.डब्लू26	रमेश कुमार	एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू27	पृथ्वीसिंह	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू28	हणमानाराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू29	हिमांशु गुप्ता	बयान धारा 164 सीआरपीसी का साक्षी
पी.डब्लू30	विभौर गोयल	बयान धारा 164 सीआरपीसी का साक्षी



पी.डब्लू31	आसिब	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू32	रामप्रसाद	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू33	जयराम	कार्यवाही शिनाख्तगी का साक्षी
पी.डब्लू34	विजयपाल हुडा	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू35	राजेंद्र	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू36	मनोज कुमार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू37	रामचंद्र मूंड़	अन्वेषण टीम में सम्मिलित साक्षी
पी.डब्लू38	बुलेश कुमार	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू39	राजीव राहड़	तलाशी मुलजिमान व फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू40	बनवारीलाल	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू41	महावीरसिंह	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू42	दिलीप कुमार	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू43	शिवभगवान	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू44	मुलायमसिंह	तलाशी मुलजिमान, गिरफतारी व जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू45	महावीरसिंह राठौड़	तलाशी मुलजिमान व फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू46	ताराचंद	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू47	श्रवण कुमार	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू48	मुख्तयार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू49	इमरान उर्फ बख्तियार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू50	विजेंद्र कुमार	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू51	बजरंगसिंह	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू52	सीताराम	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू53	गजराजसिंह	तलाशी मुलजिमान व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू54	सचिन भारद्वाज	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू55	नवीन	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू56	राजेश टुटेजा	बीटीएस विश्लेषण रिपोर्ट का साक्षी
पी.डब्लू57	कामरान खान	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू58	बृजेशसिंह	तलाशी मुलजिमान, फर्द जब्ती, नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्लू59	रवींद्र	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू60	योगेश कुमार	फर्द गिर. मुलजिमान, फर्द जब्ती व एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू61	इन्द्राज मरोडिया	बयान धारा 161 सीआरपीसी का साक्षी



पी.डब्लू62	बाबूलाल	नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्लू63	मदनलाल	चक्षुदर्शी, फर्द जब्ती, गिरफतारी, नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्लू64	रविंद्र	फर्द जब्ती व फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू65	हरिराम	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू66	ओमप्रकाश	फर्द जब्ती व नक्शा का साक्षी
पी.डब्लू67	शिवभगवान	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू68	अशोक कुमार	फर्द जब्ती व नक्शा का साक्षी
पी.डब्लू69	बीरबलराम	फर्द जब्ती व नक्शा का साक्षी
पी.डब्लू70	मोहम्मद सलीम	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू71	राजेंद्रसिंह	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्लू72	रामकिशन	फर्द जब्ती व नक्शा मौका बरामदगी स्थल साक्षी
पी.डब्लू73	मुकेश कुमार	फर्द निशादेही नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्लू74	छोटूराम	फर्द जब्ती व नक्शा मौका बरामदगी स्थल साक्षी
पी.डब्लू75	अशोकसिंह	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू76	रोहिताश कुमार	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू77	शिवलाल	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू78	अनिल कुमार	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू79	हरिकिशन	फर्द बरामदगी, नक्शा मौका बरामदगी स्थल का साक्षी
पी.डब्लू80	धर्मपाल	फर्द बरामदगी का साक्षी
पी.डब्लू81	शिशराम	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू82	सुरेंद्रसिंह	पंचनामा, सुपुर्दगी लाश व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू83	नंदकिशोर	पंचनामा, सुपुर्दगी लाश व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू84	हरलालसिंह	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू85	नरेंद्र कुमार	पंचनामा, सुपुर्दगी लाश व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू86	रघुवीरसिंह	पंचनामा व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू87	जयनारायण	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू88	शुभकरण	फर्द जब्ती, गिरफतारी व तस्दीक घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी



पी.डब्लू89	रामावतार	फोटोग्राफ लिये जाने का साक्षी
पी.डब्लू90	सतपाल	फर्द गिरफ्तारी का साक्षी
पी.डब्लू91	राकेश कुमार	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू92	श्रवणराम	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू93	सांवरमल	फोटोग्राफस प्रिंट निकालने का साक्षी
पी.डब्लू94	जीवराजसिंह	एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू95	शीशराम ओला	फर्द गिरफ्तारी का साक्षी
पी.डब्लू96	दशरथसिंह	अग्रेषण पत्र तैयार करने का साक्षी
पी.डब्लू97	नेमीचंद	तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल का साक्षी
पी.डब्लू98	प्रहलादराय	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू99	आलोक कुमार पूनियां	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती, तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल मुलजिम व तितंबा चार्जशीट का साक्षी
पी.डब्लू100	सुशील कुमार सैनी	कार्यवाही शिनाख्तगी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू101	देवेंद्रपाल	धारा 65 बी के प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल का साक्षी
पी.डब्लू102	दीपक	धारा 65 बी के प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल का साक्षी
पी.डब्लू103	राजकुमार	एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू104	राजेश त्रिपाठी	धारा 65 बी के प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल का साक्षी
पी.डब्लू105	अतिका फारुखी	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू106	जाकिरा	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू107	नरेश ठकराल	अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने का साक्षी
पी.डब्लू108	करणीसिंह	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्लू109	वीरसिंह	अग्रिम अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्लू110	सुरेंद्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का साक्षी
पी.डब्लू111	डॉ. आर के कुमावत	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू112	डॉ. प्रदीप जैन	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू113	भोपालसिंह	नक्शा मौका व हालात मौका का साक्षी

प्रतिरक्षा साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
----------------	---------------	--



डी.डब्लू01	दिनेश उर्फ लारा	स्वयं की निर्दोषिता बाबत साक्षी
------------	-----------------	---------------------------------

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

क्र. सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	01
2	घटनास्थल का नक्शा मौका	02
3	फर्द जब्ती तीन खाली केस,	03
4	फर्द जब्ती सडक पर लगे खून मय कंक्रीट	04
5	फर्द जब्ती कंक्रीट	05
6	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी	06
7	फर्द जब्ती मृतक मुकेश कानूनगो सफेद रंग की फटी हुई बनियान	07
8	फर्द जब्ती मृतक रामप्रकाश की एक सफेद रंग की कटी हुई बनियान	08
9	फर्द जब्ती एक शर्ट व एक पेंट परिवारी सांवरमल	09
10	फर्द जब्ती चली हुई गोली के बुलेट के धातुनुमा तीन टुकडे	10
11	फर्द जब्ती मिर्ची पाउडर	11
12	फर्द जब्ती दो चप्पल जोड़ी	12
13	फर्द जब्ती एक बुलेट का टुकड़ा	13
14	नक्शा मौका जहां घटना के पश्चात् बोलेरो गाड़ी पलट गयी	14
15	फर्द जब्ती चार खाली केस 9 एमएम पिस्टल	15
16	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया	16
17	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम रामपाल	17
18	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	18
19	फर्द जब्ती एक पेंट व टी शर्ट रमेश कुमार	19
20	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम रामपाल	20



21	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	21
22	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम अनुज	22
23	फर्द जब्ती फोटोग्राफस	23
24	फोटोग्राफस	24-29
25	फर्द जब्ती स्कूटी महेंद्रा गेस्टो	30
26	फर्द जब्ती वाहन कमाण्डर जीप	31
27	एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त रसीद	32-36
28	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक मुकेश कानूनगो	37
29	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक रामप्रकाश	38
30	एक्सरे प्लेटस	39-49
31	मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने का आवेदन	50
32	चिकित्सा रिपोर्ट अजय चौधरी	51
33	चिकित्सा रिपोर्ट जगदीप	52
34	चिकित्सा रिपोर्ट आमीर	53
35	चिकित्सा रिपोर्ट रामपाल	54
36	तहरीर बाबत ब्लड सेंपल मुलजिम ओमप्रकाश	55
37	सेंपल रिपोर्ट	56
38	ब्लड रिपोर्ट मुलजिम ओमप्रकाश	57
39	कवरिंग लेटर एफएसएल मोबाईल यूनिट झुंझूनूं	58
40	घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट झुंझूनूं	59
41	फोटोग्राफस घटनास्थल	60-85
42	बयान धारा 161 सीआरपीसी श्योकरण	86
43	पंचनामा मालखाना निस्तारण	86
44	बयान धारा 161 सीआरपीसी हेमंत कुमार	86
45	बयान धारा 161 सीआरपीसी मुकेश कुमार	87



46	बयान धारा 161 सीआरपीसी शीशराम	88
47	बयान धारा 161 सीआरपीसी श्रवण कुमार	89
48	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रतापसिंह	90
49	बयान धारा 161 सीआरपीसी रजनीश	91
50	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	92
51	प्राप्ति रसीद एफएसएल	93
52	अग्रेषण पत्र	94
53	बयान धारा 161 सीआरपीसी हणमानाराम	95
54	बयान धारा 164 सीआरपीसी हिमांशु गुप्ता	96
55	बयान धारा 164 सीआरपीसी विभौर गोयल	97
56	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	98
57	टीम गठन की सूचि आईजी रेंज जयपुर	99
58	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम आमीर	100
59	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अजय चौधरी	101
60	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम जगदीप उर्फ धनकड़	102
61	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रामपाल	103
62	फर्द जब्ती एक डोंगल जीओ कंपनी व एक एप्पल कंपनी का मोबाइल	104
63	फर्द जब्ती आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड	105
64	नक्शा मौका व हालात मौका दस्तयाबी रामपाल	106
65	नक्शा मौका व हालात मौका दादर रेल्वे स्टेशन	107
66	रोजनामचा थाना नवलगढ	108
67	रोजनामचा थाना नवलगढ	109
68	रेल्वे टिकट	110
69	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी दिनेश उर्फ लारा	111
70	फर्द जब्ती दो मोबाइल फोन सेमसंग	112



71	फर्द गिरफ्तारी अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया	113
72	कवरिंग लेटर एटीएस व एसओजी मय बीटीएस विश्लेषण रिपोर्ट	114
73	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुजलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी	115
74	फर्द जब्ती पिस्तोल मुलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी से	116
75	फर्द निरीक्षण पिस्तोल का छाया चित्र	117
76	फर्द जब्ती पिकअप गाड़ी मुलजिम कुलदीप चाहर	118
77	अग्रेषण पत्र	119
78	एफएसएल रिपोर्ट	120
79	नक्शा मौका व हालात मौका मुलजिम अनुज	121
80	फर्द जब्ती बोलेरो गाड़ी आरजे 10 यूए 6106	122
81	फर्द गिरफ्तारी जामा तलाशी मुलजिम बलबीर	123
82	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल बिना नंबर टीवीएस	124
83	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम कुलदीप चाहर	125
84	फर्द जब्ती दो सरकारी पिस्टल	126
85	चित्र पिस्टल बट नंबर 54	127
86	चित्र पिस्टल बट नंबर 27	128
87	फर्द जब्ती प्रमाणित प्रति मोटरसाईकिल बिना नंबरी	129
88	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	130-138
89	फर्द जब्ती देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस	139
90	फर्द जब्ती छाया चित्र देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस	140
91	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका देशी कट्टा व जिंदा कारतूस	141
92	फर्द नक्शा निशादेही घटनास्थल	142
93	फर्द बरामदगी देशी कट्टा मय तीन कारतूस मुलजिम अजय चौधरी	143
94	फर्द निरीक्षण व छायाचित्र देशी कट्टा मय तीन कारतूस मुलजिम अजय चौधरी	144
95	फर्द बरामदगी देशी कट्टा मय पांच कारतूस मुलजिम दिनेश लारा	145



96	फर्द निरीक्षण व छायाचित्र देशी कट्टा मय पांच जिंदा कारतूस मुलजिम दिनेश लारा	146
97	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय तीन जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस मुलजिम अजय चौधरी	147
98	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय पांच जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस मुलजिम दिनेश उर्फ लारा	148
99	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी	149
100	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम दिनेश उर्फ लारा	150
101	फर्द निरीक्षण व फर्द जब्ती वाहन गेटवे गाडी	151
102	फर्द बरामदगी देशी कट्टा एक खाली खोखा, तीन जिंदा कारतूस मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	152
103	छाया चित्र देशी कट्टा, एक खाली खोखा, तीन जिंदा कारतूस मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	153
104	नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय तीन जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	154
105	फर्द बरामदगी देशी कट्टा, एक खाली खोखा व दो जिंदा कारतूस मुलजिम रामपाल	155
106	छाया चित्र देशी कट्टा, एक खाली खोखा व दो जिंदा कारतूस मुलजिम रामपाल	156
107	नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा मुलजिम रामपाल	157
108	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम अजय चौधरी	158
109	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम आमीर	159
110	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम जगदीप उर्फ धनकड	160
111	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम रामपाल	161
112	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	162
113	पंचायतनामा मृतक मुकेश कानूनगो	163
114	रसीद सुपुर्दगी लाश मृतक मुकेश कानूनगो	164
115	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम कैलाश नागौरी	165



116	पंचायतनामा मृतक रामप्रकाश	166
117	सुपुर्दगी लाश मृतक रामप्रकाश	167
118	नक्शा मौका तस्दीक जहां से मुलजिम कुलदीप गाड़ी में चढाकर ले गया	168
119	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम कुलदीप	169
120	अग्रेषण पत्र	170
121	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	171
122	लेटर तहसीलदार फतेहपुर	172
123	65 बी का प्रमाण पत्र जी ओ कंपनी	173
124	सर्टिफिकेट जी ओ कंपनी का	174
125	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	175-179
126	कॉल डिटेल्	180
127	कवरिंग लेटर रिलायंस जी ओ कंपनी	181
128	प्रमाण पत्र 65 बी	182
129	कॉल डिटेल्	183
130	कवरिंग लेटर जीओ कंपनी	184
131	65 बी का प्रमाण पत्र	185
132	कॉल डिटेल्	186
133	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	187
134	65 बी का प्रमाण पत्र एयरटेल कंपनी	188
135	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	189-194
136	कॉल डिटेल्	195-199
137	प्रमाण पत्र 65 बी	200
138	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	201
139	कॉल डिटेल् एयरटेल	202
140	कॉल डिटेल् एयरटेल	203



141	प्रमाण पत्र 65 बी एयरटेल	204
142	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मय कॉल डिटेल	205
143	अग्रेषण पत्र	206
144	रोजनामचा सदर फतेहपुर	207
145	कॉल डिटेल वोडाफोन	208-210
146	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	211-213
147	प्रमाण पत्र 65 बी वोडाफोन	214
148	कॉल डिटेल वोडाफोन	215-216
149	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	217-218
150	प्रमाण पत्र 65 बी वोडाफोन	219
151	आम्स एक्ट की स्वीकृति/अनुमति पत्र	220
152	चाक एफआईआर	221
153	चार्जशीट	222
154	आदेश बाबत अन्वेषण आईजी ऑफिस जयपुर	223
155	पत्र आरटीओ ऑफिस चूरु	224
156	आरटीओ ऑफिस चूरु से प्राप्त वाहन रजिस्ट्रेशन सूचना	225-226
157	आईजी ऑफिस जयपुर से न्यायालय को लिखा गया पत्र	227
158	आवेदन पत्र बाबत 164 सीआरपीसी के बयान	228
159	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम जगदीश उर्फ धनकड़	229
160	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	230
161	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश लारा	231
162	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश लारा	232
163	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	233
164	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीप धनकड़	234
165	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम रामपाल	235



166	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	236
167	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम आमीर	237
168	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	238
169	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम रामपाल	239
170	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	240
171	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीप धनकड़	241
172	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश लारा	242
173	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	243
174	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीप धनकड़	244
175	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम कैलाश नागौरी	245
176	आईजी ऑफिस जयपुर रेंज को पत्र मुलजिम किरणपाल बाबत	246
177	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी सांवरमल	247
178	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी रमेश	248
179	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी रामप्रकाश	249
180	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी मुकेश कानूनगो	250
181	स्थानांतरण आदेश	251-252
182	कार्यालय आदेश एडिशनल डीजी सीआईडी सीबी मुलजिमान के बाबत	253
183	अग्रेषण पत्र	254-259
184	एफएसएल रिपोर्ट	260-266
185	डोंगल रूट चार्ट/विश्लेषण रिपोर्ट	267
186	डोंगल रूट चार्ट/विश्लेषण रिपोर्ट	268
187	एफएसएल रिपोर्ट	269
188	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम	270-272
189	सीडीआर	273

प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीख. प्रतिरक्षा

क्र. सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	बयान 161 सीआरपीसी सांवरमल	01
2	रोजनामचा	02
3	रोजनामचा	03
4	बयान 161 सीआरपीसी रमेश	04
5	बयान 161 सीआरपीसी गुलाम सरवर	05
6	बयान 161 सीआरपीसी देवीलाल	06
7	बयान 161 सीआरपीसी विभोर गोयल	07
8	बयान 161 सीआरपीसी राजीव राहड़	08
9	बयान 161 सीआरपीसी बजरंगसिंह	09
10	बयान 161 सीआरपीसी अतिका	10
11	बयान 161 सीआरपीसी जाकिरा	11

माल विषयग. आर्टिकल

क्र. सं.	माल की प्रकृति	आर्टिकल संख्या
1	तीन कारतूस के खाली खोखे, एक बुलेट व शीशे का टुकड़ा	01
2	घटनास्थल से खून आलूदा कंकरीट मय डामर	02
3	सफेद कपड़े की थैली	03
4	घटनास्थल से खून आलूदा कंकरीट मय डामर	04
5	सादा मिट्टी घटनास्थल	05
6	घटनास्थल सड़क से खून आलूदा कंकरीट मय डामर	06
7	खून आलूदा मिट्टी	07



8	मिर्च पाउडर	08
9	पिस्टल मय जिंदा कारतूस	09
10	फटी हुयी शर्ट, बनियान व जीन्स	10-12
11	खून आलूदा बनियान, कमीज व जीन्स	13-15
12	दो जोड़ी चप्पल	16
13	एक सेंडल जोड़ी	17
14	एक जूता जोड़ी	18
15	एक बनियान	19
16	एक कमीज शर्ट	20
17	एक पेंट	21
18	एक बुलेट का टुकड़ा	22
19	पेन ड्राईव टोल प्लाजा	23
20	पेट्रोल पंप की रिकार्डिंग का पेन ड्राईव	24
21	गवाहान के बयानों की रिकार्डिंग का पेन ड्राईव	25
22	आधार कार्ड	26
23	एटीएम कार्ड	27
24	एसबीआई का वीजा कार्ड	28
25	9 एमएम पिस्टल	29
26	9 एमएम पिस्टल	30
27	खाली कारतूस	31
28	देशी कट्टा	32
29	देशी कट्टा	33
30	खाली कारतूस	34
31	खाली खोखे	35
32	देशी कट्टा	36



33	खाली खोखे	37
34	देशी कट्टा	38
35	कारतूस	39
36	देशी कट्टा	40
37	खाली खोखे	41
38	बुलेट का टुकड़ा	42
39	चली हुयी बुलेट के तीन टुकड़े	43
40	सेमसंग मोबाईल	44
41	जी फाईव मोबाईल	45
42	जीओ कंपनी का डोंगल	46
43	सेमसंग मोबाईल काले कलर का	47
44	आई फोन सिक्स एस	48
45	लाल कलर की टीशर्ट	49
46	नीले रंग की जीन्स	50
47	काले कलर की पेंट	51
48	खून आलूदा शर्ट	52

1. थानाधिकारी पुलिस थाना, सदर फतेहपुर की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के समक्ष दिनांक 11-01-2019 को अभियुक्तगण **अजय चौधरी** पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, **दिनेश कुमार उर्फ लारा** पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, **जगदीप उर्फ धनकड़** पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर, **ओमप्रकाश उर्फ ओपी** पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, **रामपाल** पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं, **अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया** पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला



झुंझूनू, **आमीर** पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर के विरुद्ध **भा. दं. सं. की धारा 147, 148, 302, 307, 341, 332, 353 सपठित 149, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट** तथा अन्य अभियुक्तगण **कैलाश नागौरी** पुत्र फूसाराम जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, **बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर**, **किरणपाल उर्फ मनीष** पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायासां जिला फरीदाबाद हरियाणा, **संजय कुमार** पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनू, **दिनेश कुमार** पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर, **सुगना देवी** पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर, **बिजेन्द्रसिंह** पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, **अमित कुमार** पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर, **राजू उर्फ राजेंद्र नैण** पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर, **श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन** पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर, **हंसराज** पुत्र भगवानाराम जाति यादव निवासी सराय सूरपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनू, **सुरेंद्र कुमार** पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर, अभियुक्त **कुलदीप चाहर** पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर के विरुद्ध धारा 212 सपठित धारा 120 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप-पत्र पेश किया गया तथा अभियुक्त कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07-10-2018 को परिवादी सांवरमल कांस्टेबल 726 थाना कोतवाली फतेहपुर द्वारा थाना सदर फतेहपुर पर रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि दिनांक 06.10.2018 समय करीब 11.30 पीएम पर श्रीमान मुकेश कुमार कानूनगो पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मय रामप्रकाश कांस्टेबल नम्बर 1049, रमेश नम्बर 900 व वह (कांस्टेबल सांवरमल 726) मय नीजि वाहन मय हथियार ड्रेगन लाइट अन्वेषण बोकस के वास्ते गश्त बदमाशों की चेकिंग व तलाश वांछित आरोपीगण अजय चौधरी तथा जगदीश उर्फ धनकड़ की तलाश हेतु थाना से रवाना होकर समय करीब 11.45 पी.एम. पर जब आर के होटल बेसवा रोड पर पहुंचे तो श्रीमान मुकेश कुमार सीआई को



अजय चौधरी व जगदीप उर्फ धनकड़ व उनके साथी फतेहपुर की तरफ एक सफेद बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 10 यूए 6106 में आ रहे होने की मुखबीर से सूचना मिली जिसके बाबत थानाधिकारी द्वारा उन्हें बताया गया तथा वे सभी वहां से रवाना होकर उदनसरी स्टेण्ड से करीब दो किलोमीटर पहले पहुंचे तब सामने से एक बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 10 यूए 6106 आती हुई दिखाई दी जिसे श्री मुकेश कुमार कानूनगो सीआई व जाप्ता द्वारा रोककर चेक करने की कोशिश किये जाने पर उक्त गाडी में से अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश आचार्य उर्फ लारा, ओमप्रकाश उर्फ ओपी तथा तीन चार अन्य व्यक्ति जिन्हें वह शक से आईदा देखकर पहचान सकता है गाडी से नीचे उतरे उन सभी के हाथों में आग्नेयास्त्र थे जिनमें से अजय चौधरी ने श्री मुकेश कुमार कानूनगो को कहा कि तेरी मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई और गोली का फायर कर मुकेश कुमार सीआई साहब की हत्या कर दी बाद में जगदीप उर्फ धनकड़ ने कांस्टेबल रामप्रकाश को कहा कि तुमको बहुत दिन हो गये हमारे को ढूढने के लिए पीछे पडे हो यह कहकर जगदीप उर्फ धनकड़ ने रामप्रकाश पर फायर कर दिया एवं गोली मार कर हत्या कर दी तथा चार पांच अन्यो ने भी जिनमें से दिनेश आचार्य उर्फ लारा, ओमप्रकाश उर्फ ओपी तथा तीन चार अन्य व्यक्तियों ने हमारे उपर ताबड़ तोड़ फायरिंग की जिसके बचाव में उनके द्वारा भी फायरिंग की गयी। अतः कार्यवाही की जावे....।

3. उपर्युक्त रिपोर्ट पर थाना सदर फतेहपुर पर एफ. आई. आर. नंबर 124/2018 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 353 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर अन्वेषण किया गया एवं बाद अन्वेषण अभियुक्तगण **अजय चौधरी** पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, **जगदीप उर्फ धनकड़** पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर, **ओमप्रकाश उर्फ ओपी** पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, **दिनेश कुमार उर्फ लारा** पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, **आमीर** पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर, **रामपाल** पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझून्, **अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया** पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझून् के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 341, 332, 353, 212, 120 बी व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र पेश हुआ तथा **कैलाश नागौरी** पुत्र फूसाराम जाति



आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, **बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर**, **किरणपाल उर्फ मनीष पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायसां जिला फरीदाबाद हरियाणा**, **संजय कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं**, **दिनेश कुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर**, **सुगना देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर**, **बिजेन्द्रसिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर**, **अमित कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर**, **राजू उर्फ राजेंद्र नैण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर**, **श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर**, **हंसराज पुत्र भगवानाराम जाति यादव निवासी सराय सूरपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं**, **सुरेंद्र कुमार पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 212 सपठित 120 बी एवं तत्पश्चात अभियुक्त कुलदीप चाहर पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 212 के तहत आरोप-पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के यहां पेश किये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पूर्व में अभियुक्त संख्या 2 लगायत 20 का विचारण किया जा चुका है तथा अभियुक्त बलबीर का विचारण किया जा रहा है।**

4. अभियुक्त बलबीर को धारा 212/120 बी भादंसं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार कर विचारण चाहा गया।

5. साक्ष्य अभियोजन में उपरोक्त सूची अनुसार साक्षी पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 113 को पेश कर परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 273 को प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त को धारा 313 दं. प्र. सं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त द्वारा निर्दोष होने का कथन करते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा गया।



7. बहस उभयपक्ष सुनी गयी तथा बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त बलबीर द्वारा यह जानते हुए कि अभियुक्त अजय चौधरी द्वारा हत्या व अन्य गंभीर अपराध कारित किये गये हैं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होते हुए उसे दण्ड से बचाने के लिये सीकर स्थित अपने किराये के मकान में संश्रय दिया गया एवं उसे अन्यत्र जाने में मदद की गयी और बाद में अभियुक्त अजय चौधरी की सूचना पर अभियुक्त बलबीर के किराये के मकान से अग्रायुद्ध भी बरामद किये गये हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 212/120 बी के लिये दोषसिद्ध किया जावे।

8. उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अभियुक्तद्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अभियुक्त बलबीर के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अन्य अभियुक्तगण को इसी आधार पर पूर्व में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अतः इस अभियुक्त को भी दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है:-

1. क्या अभियुक्त बलबीर ने यह जानकारी रखते हुए कि दिनांक 06.10.2018 को रात्रि में 11 पीएम पर अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह द्वारा हत्या जैसा गंभीर अपराध किया है, उन्हें वैद्य दण्ड से बचाने के लिये आपराधिक षड्यंत्र करते हुए जानबूझकर संश्रय अथवा फरार होने में सहयोग प्रदान किया है ?

2. यदि हां तो उपर्युक्त अपराध में दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को किस प्रकार दण्डित किया जावे ?

10. उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में सुनने एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से प्रकट होता है कि आरोप पत्र प्रदर्श पी-222 के अनुसार अभियुक्त बलबीर द्वारा अभियुक्त अजय चौधरी को बचाने के लिये पुलिस की गतिविधियां चौक करते हुए अपनी पत्नी सुगना देवी के साथ उसकी स्कूटी पर बैठाकर अजय चौधरी को रानोली तक ले जाने के लिये कहा गया एवं पीछे से स्वयं रोडवेज बस में बैठकर रानोली के पास आकर बस से उतर गया और अपनी टिकिट देकर अजय को बस में बैठा दिया जिसके पश्चात् अजय चौधरी द्वारा जयपुर से फरीदाबाद होते हुए पुना महाराष्ट्र पहुंचकर विभोर गोयल व विभांषु गुप्ता के फ्लैट पर पहुंच गया।



11. यद्यपि अभियोजन द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त बलबीर का सीकर से बस में बैठकर रानोली जाना अथवा अपनी पत्नी को अभियुक्त अजय को स्कूटी से रानोली तक ले जाने हेतु कहना प्रकट होता हो किन्तु प्रकरण में अभियुक्त अजय चौधरी जरिये प्रदर्श पी-101 दिनांक 16.10.2018 को गिरफ्तार हुआ है एवं उसके द्वारा दिनांक 19.10.2018 को दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना में बताया गया कि उसने एक देशी कट्टा व तीन जिंदा कारतूस तथा एक खाली कारतूस अपने रिश्ते के मामा बलबीर के मोहन कॉलोनी सीकर स्थित किराये के रिहायशी मकान में संदूक में रखे कपड़ों के नीचे छुपाया गया है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर जरिये प्रदर्श पी-143 दिनांक 19.10.2018 बलबीर सिंह के किराये के शिवपाल सिंह के मोहन कॉलोनी सीकर स्थित मकान से संदूक में कपड़ों के नीचे छुपाकर रखा गया एक देशी कट्टा व तीन जिंदा कारतूस बरामद किये गये हैं। उपर्युक्त बरामदगी तथा मौका नक्शा प्रदर्श पी-147 की पुष्टि अन्वेषण अधिकारी तथा पी.डब्ल्यू 76 रोहिताश कुमार व पी.डब्ल्यू 79 हरिकिशन द्वारा की गयी है किन्तु उपर्युक्त बरामदगी स्थल अभियुक्त बलबीर सिंह के किराये का स्थान होने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है एवं ना ही मकान मालिक शिवपाल सिंह अथवा मकान के आस-पास व्यक्तियों को इस संबंध में परीक्षित करवाया गया है।

12. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रदर्श पी-227 के माध्यम से दिनांक 20.11.2018 को बलबीर सिंह से अन्वेषण की स्वीकृति हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया है तथा बाद में इसी क्रम में अभियुक्त बलबीर को साक्षी मदनलाल व शुभकरण की उपस्थिति में दिनांक 27.11.2018 को गिरफ्तार किया गया है। किन्तु अन्वेषण के दौरान आरोपित अपराध साबित करने वाला कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त बलबीर ने यह जानकारी रखते हुए कि दिनांक 06.10.2018 को रात्रि में 11 पीएम पर अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह द्वारा हत्या जैसा गंभीर अपराध किया है, उन्हें वैद्य दण्ड से बचाने के लिये आपराधिक षड्यंत्र करते हुए जानबूझकर संश्रय अथवा फरार होने में सहयोग प्रदान किया गया हो। अतः अभियुक्त बलबीर सिंह अपराध अंतर्गत धारा 212/120 बी भादंस में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।



आदेश

13. परिणामतः अभियुक्त बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 212/120 बी भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्त द्वारा बीएनएसएस की धारा 481 (437-ए सीआरपीसी) की पालना की चुकी है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के संबंध में निर्णय पूर्व में किया जा चुका है।

प्रकरण में जब्तशुदा तीन खाली केस, टूटा हुआ बुल्ट का टुकड़ा व एक बुल्ट पर लगा शीशा (प्रदर्श पी-3), कंक्रीट मय डामर खून आलूदा व सादा (प्रदर्श पी-4), कंक्रीट मय डामर खून आलूदा व सादा (प्रदर्श पी-5), खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी (प्रदर्श पी-6), फर्द जब्ती मृतक मुकेश कानूनगो सफेद रंग की फटी हुई बनियान व शर्ट (प्रदर्श पी-7), फर्द जब्ती मृतक रामप्रकाश की एक सफेद रंग की कटी हुई बनियान व एक क्रीम रंग का कमिज व एक नीले रंग की जींस पेंट (प्रदर्श पी-8), फर्द जब्ती एक शर्ट व एक पेंट परिवारी सांवरमल (प्रदर्श पी-9), फर्द जब्ती चली हुई गोली के बुलेट के धातुनुमा तीन टुकड़े (प्रदर्श पी-10), फर्द जब्ती लाल मिर्ची पाउडर (प्रदर्श पी-11), फर्द जब्ती दो चप्पल जोड़ी व एक सेंडल जोड़ी व एक जूता जोड़ी, एक बनियान, एक लंबी बाजू का कमीज, एक चौकड़ीदार पेंट (प्रदर्श पी-12), फर्द जब्ती एक बुलेट का टुकड़ा (प्रदर्श पी-13), चार खाली केस 9 एम.एम. पिस्टल का व एक बुलेट का टुकड़ा (प्रदर्श पी-15), फर्द जब्ती एक पेंट व टी शर्ट रमेश कुमार (प्रदर्श पी-19), फर्द जब्ती फोटोग्राफस (प्रदर्श पी-23), फर्द जब्ती स्कूटी महेंद्रा गेस्टो (प्रदर्श पी-30), फर्द जब्ती वाहन कमाण्डर जीप (प्रदर्श पी-31), फर्द जब्ती एक डोंगल जीओ कंपनी व एक एप्पल कंपनी का मोबाइल व एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का (प्रदर्श पी-104), फर्द जब्ती दो मोबाइल फोन सैमसंग (प्रदर्श पी-112), फर्द जब्ती पिस्तोल मुलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी से (प्रदर्श पी-116), फर्द जब्ती पिकअप गाड़ी मुलजिम कुलदीप चाहर (प्रदर्श पी-118), फर्द जब्ती बोलेरो गाड़ी आरजे 10 यूए 6106 (प्रदर्श पी-122), फर्द जब्ती मोटरसाईकिल बिना नंबर टीवीएस (प्रदर्श पी-124), फर्द जब्ती दो सरकारी पिस्टल (प्रदर्श पी-126), फर्द जब्ती प्रमाणित प्रति मोटरसाईकिल बिना नंबरी (प्रदर्श पी-129), फर्द जब्ती देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस (प्रदर्श पी-139), फर्द जब्ती छाया चित्र देशी कट्टा मय दो जिंदा



कारतूस(प्रदर्श पी-140) का निस्तारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के यहां लंबित अपील के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

(विकास ऐचरा)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर, जिला-सीकर

14. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ऐचरा)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर, जिला-सीकर